भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1119
05 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया के मामले

†1119. डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र, विशेषकर धुले और नासिक जिलों में सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया के पंजीकृत कुल मरीजों की संख्या कितनी है और उनके स्वास्थ्य की स्थिति का आकलन करने के लिए जिला-वार/रोग-वार सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए गए/उठाए जाने प्रस्तावित हैं;

(ख) क्या धुले और नासिक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सिकल सेल रोग के उपचार के लिए दवाइयाँ और सुविधाएँ अपर्याप्त हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन दवाओं और सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए गए/उठाए जाने प्रस्तावित हैं;

(घ) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में सिकल सेल रोग के उपचार के लिए मुफ्त शिविर लगाने की कोई योजना है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) राज्य के जिला/तहसील अस्पतालों में विशेष वार्ड और विशेषज्ञ चिकित्सक नियुक्त करने की समय-सीमा क्या है; और

(च) क्या सरकार गरीब मरीजों की राहत के लिए कोई वित्तीय सहायता योजना शुरू करने पर विचार कर रही है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (च): सिकल सेल डिजीज (एससीडी) पोर्टल के अनुसार, दिनांक 31.10.2025 तक, महाराष्ट्र में कुल 26,007 एससीडी रोगियों की पहचान की गई है, जिसमें नासिक जिले के 128 और धुले जिले के 762 रोगी शामिल हैं। इसके अलावा, दिनांक 31.10.2025 तक, महाराष्ट्र में कुल 344 व्यक्तियों में थैलेसेमिया की पहचान की गई है, जिसमें धुले के 3 मामले हैं और नाशिक का कोई मामला शामिल नहीं है।

यह मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर जांच, परामर्श एवं जागरूकता शिविर आयोजित करने, दवाओं की खरीद,सिकल सेल एनीमिया हेतु रक्ताधान सेवाएं, थैलेसीमिया की रोकथाम और प्रबंधन, ब्लड बैंक सुविधाओं, डे केयर सेंटर, दवाएं, लैब सेवा और मानव संसाधनों संबंधी प्रशिक्षण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन (एनएससीएईएम) के तहत, सिकल सेल रोग के निदान के लिए देश भर में जिला अस्पतालों (डीएच) से लेकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) स्तर के सभी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों पर जांच की जाती है।

औषधि तक पहुंच की समस्या का समाधान करने के लिए उप-स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी)/ शहरी पीएचसी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में एनएचएम की आवश्यक औषध सूची में हाइड्रॉक्सीयूरिया को शामिल किया गया है। भारत सरकार द्वारा औषधि की खरीद की निगरानी करने और जन स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों में आवश्यक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, औषधि एवं टीका वितरण प्रबंधन प्रणाली (डीवीडीएमएस) शुरू की गई है।

एससीडी पीड़ित मरीजों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए उन्हें एएएम-एसएचसी और एएएम-पीएचसी के माध्यम से निम्नलिखित सेवाएं/सुविधाएं प्रदान की जाती हैं:

- रोगियों की नियमित अंतराल पर अनुवर्ती फॉलोअप।
- जीवनशैली प्रबंधन, विवाह-पूर्व और गर्भावस्था-पूर्व निर्णयों के संबंध में परामर्श प्रदान करना।
- फोलिक एसिड की गोलियाँ वितरित करके पोषण संबंधी पूरक सहायता।
- योग और स्वास्थ्य सत्रों का आयोजन करना।
- जोखिम संबंधी लक्षणों का प्रबंधन और बड़े अस्पतालों में रेफर करना।

जनजातीय कार्य मंत्रालय के माध्यम से जागरूकता और परामर्श सामग्री तैयार की गई है और इसे राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रो में प्रसारित किया गया है। मासिक आयुष्मान आरोग्य शिविरों के माध्यम से एससीडी सहित विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए जागरूकता फैलाई जाती है।

भारत सरकार ने डॉक्टरों और विशेषज्ञों को ग्रामीण और दूर-दराज क्षेत्रों में सेवा हेतु प्रोतसाहित करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे दुर्गम क्षेत्र भत्ता, "यू कोट वी पे" जैसे परक्राम्य (नेगोशिएबल) वेतन की पेशकश करने वाले राज्यों की सहायता आदि। इसके अलावा, महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार नाशिक और धुले सहित महाराष्ट्र के सभी जिलों में हीमोग्लोबिनोपैथी डे केयर सेंटर चलाए जा रहे हैं और इन सेंटरों पर प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी तैनात हैं।

यह मंत्रालय, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के सहयोग से 'थैलेसीमिया बाल सेवा योजना' (टीबीएसवाई) नामक एक योजना कार्यान्वित कर रहा है, जिसमें सीआईएल कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कोष से बोन मैरो प्रत्यारोपण (बीएमटी) के लिए पात्र रोगियों को 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र सरकार के अनुसार, 1 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले और बीपीएल मरीजों के लिए राजीव गांधी जीवनदायी योजना के तहत थैलेसीमिया का इलाज भी नि:शुल्क उपलब्ध है।

*****